

## **Announcement regarding Amendments to Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill**

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधनों की सूचनाएं आज दिनांक 05.02.2024 को दोपहर दो बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं ।

---

---

\* Expunged as ordered by the Chair.